सील्ड/रजिस्टर्ड

संख्या-409/2023/1417/22-2-2023-17(359)/2023

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 23 जून, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कुबेर मिश्र पुत्र स्व0 रामनाथ मिश्र उर्फ रमई निवासी जनपद-गाजीपुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) के पत्र संख्या-5535/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-08.02.2023) दिनांक-20.02.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कुबेर मिश्र पुत्र स्व0 रामनाथ मिश्र उर्फ रमई, ग्राम-रामपुर ईशोपुर, थाना-खानपुर, जनपद-गाजीपुर का निवासी है। दिनांक 06.05.2007 को बन्दी ने आशु वर्मा (06 वर्ष) को बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर जाकर बलात्कार कर उसे बेहोशी हालत में छोड़कर भाग गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण नं0-259/2007 में भा0द0वि0 की धारा-363, 366, 376 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय सं0-2, गाजीपुर के आदेश दिनांक 18.05.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 31.01.2023 तक अपरिहार 15 वर्ष 08 माह 22 दिन तथा सपरिहार 19 वर्ष 06 माह 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नही होने, भविष्य में पुनः अपराध करने की सम्भावना होने, जेल से रिहा होने पर कोई और गम्भीर घटना घटित होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अशक्त नही होने, जेल में रखने से पुनः अपराध कारित नही होने की आख्या अंकित करते हुए रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 06.05.2007 को आशु वर्मा (06 वर्ष) को बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर जाकर बलात्कार कर उसे बेहोशी हालत में छोड़कर भाग जाने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, विवाद समाप्त न होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी कुबेर मिश्र पुत्र स्व0 रामनाथ मिश्र उर्फ रमई को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कुबेर मिश्र (बन्दी संख्या-1298/2010) पुत्र स्व0 रामनाथ मिश्र उर्फ रमई, निवासी जनपद-गाजीपुर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाईसेंस पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-409/2023/1417(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार गाजियाबाद को रिट याचिका सं0-336/2019 रसीदुल जफर उर्फ छोटा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय में पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-409/2023/1417/22-2-2023-17(359)/2023

दिनांक 23 जून, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कुबेर मिश्र पुत्र स्व0 रामनाथ मिश्र उर्फ रमई, ग्राम-रामपुर ईशोपुर, थाना-खानपुर, जनपद-गाजीपुर का निवासी है। दिनांक 06.05.2007 को बन्दी ने आशु वर्मा (06 वर्ष) को बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर जाकर बलात्कार कर उसे बेहोशी हालत में छोड़कर भाग गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण नं0-259/2007 में भा0द0वि0 की धारा-363, 366, 376 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय सं0-2, गाजीपुर के आदेश दिनांक 18.05.2010 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 31.01.2023 तक अपरिहार 15 वर्ष 08 माह 22 दिन तथा सपरिहार 19 वर्ष 06 माह 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नही होने, भविष्य में पुनः अपराध करने की सम्भावना होने, जेल से रिहा होने पर कोई और गम्भीर घटना घटित होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अशक्त नही होने, जेल में रखने से पुनः अपराध कारित नही होने की आख्या अंकित करते हुए रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने दिनांक 06.05.2007 को आशु वर्मा (06 वर्ष) को बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर जाकर बलात्कार कर उसे बेहोशी हालत में छोड़कर भाग जाने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध समाज को प्रभावित करने पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, विवाद समाप्त न होने, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी कुबेर मिश्र पुत्र स्व0 रामनाथ मिश्र उर्फ रमई को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।